

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4023/2005/जालौर बक्ता बनाम बुधराम</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
	<p style="text-align: center;"><b>एकलपीठ</b> <b>श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य</b></p> <p><b>उपस्थित</b> श्री ओ.एल. दवे, अधिवक्ता, प्रार्थीगण श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण</p> <p style="text-align: center;"><b>निर्णय</b> <b>दिनांक 30.01.2019</b></p> <p>प्रार्थीगण ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत सहायक कलक्टर, रानीवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03-05-2005 के विरुद्ध प्रस्तुत की है।</p> <p>आलोच्य आदेशानुसार सहायक कलक्टर ने प्रार्थीगण प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता को खारिज किया है।</p> <p>हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि जब बंटवारे का दावा दिनांक 22-1-2003 को डिक्री को गया और उसकी इजराय होकर विवादित आराजी पक्षकारों के खातेदारी में दर्ज कर दी गयी, इसके बाद जब कार्यवाही ही कोई शेष नहीं रही तो किसी को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। इस तथ्य को समझने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक भूल की है। उनका कथन है कि विवादित आराजी</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  निगरानी/टीए/4023/2005/जालौर बक्ता बनाम बुधराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>बाबत् जब न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर दिया और उस आदेश की कोई अपील नहीं की गयी तो वह आदेश अन्तिम हो जाता है और उस डिक्री को निरस्त कराये बिना उस दावे में न तो कोई पक्षकार बन सकता है तथा ना ही उक्त दावे में नये सिरे से कोई कार्यवाही हो सकती है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी में प्रावधित प्रावधानों एवं उक्त विधिक तथ्यों की अनदेखी करते हुए निगराधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय निरस्त किया जावे तथा प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का स्वीकार कर वादीगण अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किया जावे।</p> <p>योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवारे के वाद में विधिसम्मत निर्णय पारित कर प्रतिवादीगण संख्या- 3 से 5 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी को खारिज किया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे।</p> <p>हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।</p> <p>पत्रावली एवं मूल वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी मोहबताराम की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण के विरुद्ध विवादित आराजी के बंटवारे बाबत् वाद प्रस्तुत किया गया। उक्त वाद के लम्बित रहते प्रार्थीगण प्रतिवादी संख्या-3 से 5 की ओर से प्रार्थनापत्र</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  निगरानी/टीए/4023/2005/जालौर बक्ता बनाम बुधराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत कर वाद को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र पर उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनकर प्रार्थीगण प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को निरस्त कर दिया। वादपत्र, जवाबदावा एवं जवाबुल जवाब एवं प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी में उल्लेखित तथ्यों के मद्देनजर मूल वाद में तथ्यों एवं विधि का मिश्रित बिन्दू निहित है, जिसका निर्धारण उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध किये जाने के उपरान्त ही होगा। बंटवारे के वाद को प्रारम्भिक स्टेज पर प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के माध्यम से खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। जहां तक विचारण न्यायालय द्वारा बंटवारे के वाद में दिनांक 22-1-2003 को निर्णय एवं प्राथमिक पारित किये जाने का प्रश्न है, विचारण न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय में इस बिन्दू बाबत विस्तार से विवेचना एवं विश्लेषण किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय में निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय की पुष्टि की जाती है।</p> <p>निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4023/2005/जालौर बक्ता बनाम बुधराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>नियमानुसार भिजवाया जावे।</p> <p>पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">( मोहन लाल नेहरा ) सदस्य</p>	



